भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1109**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**शिशु जन्‍म के लिए भुगतान**

**1109. श्री सी.पी. नारायणन:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान जन्‍म लेने वाले शिशुओं की संख्‍या कितनी है;

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने शिशुओं की मृत्‍यु प्रसव के दौरान हो गई; और

(ग) देश में महिलाओं के साथ बलात्‍कार/छेड़खानी की बुराई पर नियंत्रण करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्‍या-क्‍या विशिष्‍ट कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : स्‍वास्‍थ्‍य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचएमएसआई) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए प्रसवों की संख्‍या निम्‍नानुससर है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** |
| **प्रसवों की संख्‍या** | 2,04,61,498 | 2,02,35,029 | 2,02,25,324 |

(ख) : स्‍वास्‍थ्‍य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचएमएसआई) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए मृत जन्‍मों की संख्‍या निम्‍नानुससर है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** |
| **मृत जन्‍मों की संख्‍या** | 3,33,252 | 3,16,337 | 3,00,956 |

(ग) : वर्ष 2016-17 के दौरान मातृत्‍व लाभ कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के लिए भारत सरकार के अंश के रूप में 2700.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

\*\*\*\*\*